SUMMARU TRIAL U IN THE COURT O	INDER SECTION	J 262 THE OBT	MINIAL DROCEDUR	CODE 1009
IN THE COURT (	OF	· 203 THE CRI	F.C., Gohad, DIST Bl	ind (M.P)
Case No32.3//	7	Complaint	or report madeon	
Name and address of the (	Complainant ( )			
		26.49		
Name and address of the (	नारशक मध्य	हो र प्रधाः जिलाने जनवाः		
	7-7-	<i>D</i>		
	170	<i>2</i> 770	0.31156	
	Name , parentag	e,caste and addre	ess of accused	
(1) Songler	- SIO - 7/e	थाय रहें।	Plo J<>15	- 21183
			A 1977 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
The	offence complainan	t of and date of	its alleged commission	14. g 33.
आप	पर आरोप	है कि	दिनांक 23-//-/3	?मुकाम
-120	16 220	5 5/187	दिनांक <i>23-//-/2</i>	
में आम रोड पर	2	क्रुने	ह्ये मार्ग में अलगेष र	م الماسية الماسية
		The second of the second		उरपात कर रह व
जो कि घारा 34–3 पुलि				
व	या आपको उक्त अ	पराध स्वीकार है	या प्रतिरक्षा चाहते हो।	
			(OP)	KSW)
			~	हस्ता. क्या
	The plea of the acc	cused and his exa	mination (if any) an	
(Sotte	)			
	1			2
207 28	T.	N. A. Janes	ST W	हरना नज
10 VO		W. W. C. Carles St. M. S. Sall		TANGET OF THE

The offence proved. If any and in case under clasue(d) clasuse(f) clause(g) of sub section 260 the value of the property in respect of which the offence has been committed.

## //निर्णय// \\\ (आज दिनांक *\_ऽार्थ / न्* को घोषित)

01. <u>अ</u>भियुक्त के विरूद्ध धारा <u>द्धि द्</u>रिट्या पुलिस अधिनियम के तहत समरी सीट पर अपराध विवरण पढ़कर सुनाये एवं समझाये जाने पर अभियुक्त ने स्वेच्छापूर्वक जुर्म/अपराध स्वीकार करना व्यक्त किया।

- 02. संक्षिप्त विचारण किया गया। अतः अभियुक्त की स्वेच्छापूर्वक स्वीकारोक्ति के आधार पर धारा 34—3 पुलिस अधिनियम के तहत आरोपी को दोषी ठहराया जाता है।

  03. अभियुक्त को धारा 34—3 पुलिस अधिनियम के तहत रूपये ....... शब्दों में रूपये के अर्थदण्ड से दिण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न पटाये जाने पर ....ं का साधारण कारावास की सजा भुगतायी जावे।
  - जप्तषुदा सम्पत्ति कुछ नहीं ।

मेरे निर्देशन पर टंकित

नायिक हरिती. क्राइट क